



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक: ३३१५/ कु0वग0 / 2024

दिनांक 13 / 04 / 2024

कार्यालय आदेश

अवगत कराना है कि महाविद्यालयों द्वारा छात्रों का रोजाना एवं प्रायोगिक विषयों का अंक रागय से विश्वविद्यालय को उपलब्ध न करा पाने के कारण परीक्षाफल घोषित होने में अत्यधिक विलम्ब होता है। प्रश्नगत प्रकरण पर परीक्षा रागिति की 23वीं बैठक दिनांक 15.04.2024 गद रां0 6 के अन्तर्गत रागुचित विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया -

1. महाविद्यालय द्वारा राग/विषय रेगेस्टर की परीक्षा राग्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अथवा परीक्षकों की सूची महाविद्यालय लॉगिन पर अपलोड होने की रािति से 30 दिन, जो भी बाद में हो, के अन्तर्गत प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी व आन्तरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड विरे जाऐगे तथा हार्ड कापी कुलराचिव/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करा दी जाए।
2. महाविद्यालयों द्वारा यदि उक्त अवधि में प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी व आन्तरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड नहीं विरे जाते हैं एवं हार्ड कापी विश्वविद्यालय में जमा नहीं करायी जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रति विषय/पेपर प्रथम 10 दिन तक रू 100 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड देना होगा। उसके पश्चात् महाविद्यालय को ग्यारहवें दिन से वीराये दिन तक रू 200 प्रतिदिन प्रति पेपर/प्रश्नपत्र की दर से अर्धदण्ड देना होगा। उक्त अवधि में भी यदि महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिकी/आन्तरिक मूल्यांकन का अंक नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो महाविद्यालय को बीस दिन का प्रति विषय/प्रश्नपत्र बिलम्ब शुल्क रू0 200/- प्रतिदिन की दर से जमा करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे महाविद्यालय को एक वर्ष तक (दो सेमेस्टर) परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।
3. निर्धारित अवधि (30 दिन) के पश्चात विश्वविद्यालय पोर्टल पर अंक अपलोड करने हेतु निर्धारित अर्धदण्ड/बिलम्ब शुल्क विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। उसके पश्चात ही विश्वविद्यालय पोर्टल पर अंक अपलोड हो सकेंगे, अन्यथा नहीं।
4. यदि कोई परीक्षक परीक्षा कराने में असमर्थता व्यक्त करता है अथवा परीक्षा निर्धारित अवधि (30 दिन) के अन्तर्गत सम्पन्न नहीं कराता है/असमर्थता व्यक्त करता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धक द्वारा प्रथम एक सप्ताह के अन्तर्गत ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित परीक्षक की असमर्थता के प्रमाण (ई-मेल/व्हाट्सएप मेसेज) के साथ कुलराचिव की ईमेल/निर्धारित ई-मेल पर msdstateuniversity1311@gmail.com पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी ताकि अर्धदण्ड/बिलम्ब शुल्क से बचा जा सके। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षक की जगह तत्काल अन्य परीक्षक उपलब्ध कराया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षक नियुक्ति की सूचना महाविद्यालय को उसकी ई-मेल/महाविद्यालय लॉगिन तथा सम्बन्धित परीक्षक की ई-मेल/व्हाट्सएप पर उपलब्ध करानी होगी।
6. प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षक के नियुक्ति पत्र पर भी उपरोक्त सूचनाएं/दिशा-निर्देश स्पष्ट आवश्यक रूप से अंकित होना अनिवार्य है।

भवदीय

कुलराचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजीराचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को संज्ञानार्थ।
2. ऑनलाइन एजेन्सी को इस आशय के साथ प्रेषित है, कि उक्त पत्र को महाविद्यालय के कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पोर्टल पर उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. वित्त अधिकारी, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

कुलराचिव

23/04/24





महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msdundiversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक- 282/ कु0का0 /2024

दिनांक- 06 /06 /2024

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष
राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

विषय- प्रयोगात्मक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


महोदय,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के पत्रांक 3319/कु0का0/2024 दिनांक 13.04.2024 के क्रम में 18.05.2024 तक सम्पन्न हुयी परीक्षाओं के प्रयोगात्मक एवं आन्तरिक मूल्यांकन अंक पूर्व निर्धारित तिथि अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत प्राप्त कराए जाने हैं।

अतः उक्त निर्धारित अवधि में अंक प्राप्त न होने पर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 13.04.2024 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न है।

भवदीय


कुलसचिव


कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।


कुलसचिव

